12.6.17. पत्रावली :- पाय आपके
आदेश दिनांक दौलतपुरा में
प्राप्त हुई। वादी द्वारा नाम-निर्देशन
हेतु घोषणात्मक वाद लाया गया
तथा धारा 12C.P.C Act के पूर्व
में ही निराकरण हो जाने से उक्त वाद
का कोई औचित्य नहीं रह जाता व
वाद रजिस्टर किया जाना व प्रार्थी
के पक्ष में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner